25.5.17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान के अटल सेवा केन्द्र कार्यवाही में पेश हुई। अपीलांट नं. 1 व उत्तरदाता नं. 1 से 3 स्वयं उपस्थित। वकील अपीलांट उपस्थित। अपीलांट वकील ने निवेदन किया, कि ग्राम - धनते की ढाणी तहसील सिणधरी की खातेदारी संख्या 40 व 115 कुल रकबा 41-16 बीघा भूमि आराजी खातेदारी मुतवफी धोला वल्द प्रहलाद की आई हुई थी। मुतवफी धोला के फौत होने पर उनके वारिसान में अपीलांटान एंव उत्तरदाता नं. 2 व 3 होने के कारण उनके नाम हल्का

(अमिया देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत बिलासर
पं.स. सिणधरी (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख हुए
	पटवारी द्वारा नामान्तकरण सं. 201 में दर्ज किये गये / लेकिन तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना किसी आधार के अपीलार्ट सं. 4 व उत्तरदाता सं. 2 व 3 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करते हुए शेष अपीलार्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया। जो विवादित भूमि के नाम दर्ज किया जावे / उत्तरदाता सं. 2 व 3 ने कुछ जवाब में कहनात की गयी। हमने वकील अपीलार्ट एवं उत्तरदाता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे पाया कि ग्राम- धन्ने की ढाणी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 40 व 115 कुल रकबा 41-16 बीघा भूमि मृतकली खातेदार जोरा वल्द प्रहलाद कौम - जाट सा. देह खातेदार की खातेदारी में आई हुई थी। जोरा के फौत होने पर भरे गये नामान्तकरण सं. 201 में हलका पटवारी द्वारा अपीलार्ट सं. 1 से 4 व उत्तरदाता सं. 2 व 3 के नाम दर्ज किये और तत्कालीन R.I द्वारा तस्दीक कर पारित हेतु सरपंच को पेश किया गया। तत्कालीन सरपंच द्वारा हलका पटवारी	

M

उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Scanned by CamScanner

द्वारा करे गये नामान्तकरणों को दरकिनार करते हुए, अपीलांट क्र. 4 व उत्तरदाता क्र. 2 व 3 के नाम नामान्तकरण में शामिल की स्वीकृति दी गई। जो ग्राम पंचायत कनवाई संरपंच को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसके प्रमाणित है, कि ग्राम पंचायत कनवाई सरपंच द्वारा पारित किया गया नामान्तकरण क्र. 201 निरस्त योग्य है। क्योंकि खेता के स्वामित्व वारिसान के नाम नामान्तकरण दायर किया जाना आहित था। खेता हलका पटवारी द्वारा नामान्तकरण करा गया था। इस प्रकार अपीलांट क्र. 1 से 3 को उनके हक हकूकों से महरूम रखा गया है। जो विवादित भूमि में नाम दायर करवाने के हकदार है। एवं उत्तरदाता क्र. 2 व 3 ने भी विवादित भूमि में ~~सम~~ नाम दायर करवाने की सहमति दी गई है। एवं मजमे आम में भी पूछताछ करने पर उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन उपरांत अपीलांट की अपील ~~स्वीकार~~ करते बाद तहसीलदार को रिमांड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा अपीलांट की अपील मन्दर्जा बाला सुधार करते हुए, स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कनवाई के

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण सं. 201 पर पारित संरपन्च ग्राम पंचायत कमढाई के आदेश दिनांक 25.5.1982 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। कि मृतक पेसा के समस्त वारिसान की विधी सम्मत जांच करते हुए, अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार उनके हक मे पारित करे।

आदेश आज सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हस्ता.
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी